

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठसीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2020 (रि.वि.)  
पंजीयन दिनांक 11.02.2020  
G.C.M.S. NO. :-2020/00048

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सार्व जयपुर तृतीय तल, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर,  
जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-मैसर्स जी. एन. इन्टरप्राइजेज, प्रो. श्री अलादीन मंसूरी पिता श्री नानू खान निवासी म. नं. 4, वार्ड नं. 1, हनुमान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन के सामने चंदेरिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वितीय पता:- आराजी नम्बर 1490, ग्राम पुठेली, तहसील गंगारार, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री तालीब अहमद मंसूरी पिता अलादीन मंसूरी निवासी हनुमान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन के सामने चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़
- 3-श्री खुर्शीद अहमद मंसूरी पिता अलादीन मंसूरी निवासी हनुमान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन के सामने चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़
- 4-श्री घनश्याम सिंह राणावत पिता मोहब्बत सिंह निवासी 96, आर. के. कॉलोनी, नरपत की खेड़ी, तहसील चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री अमित दाधीच, बैंक प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 02.02.2021



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 69,53,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋण स्वयं दिनांक 17.03.2020 को उपस्थित हुआ उसके पश्चात् उपस्थित नहीं। शेष विपक्षी संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

**Movable Property :**

- 1-Exclusive charge over entire current assets such as Raw Material, Finished Goods Along with receivable of the Firm both present & future,
- 2- Exclusive charge over Plant and machinery & entire movable fixed assets of the Firm both present & future.

**Immovable Property :**

Equitable Mortgage of Factory land and Building situated at Araji no-1490, Gram-Putholi, Tehsil-Gangrar, Dist.-Chittorgarh Total area admeasuring 10800 Sq. Meter. In the name of Sh. Aladdin Mansoori S/o Sh. Nanu Kha **Bounded By:-**

North :- Agriculture Land  
East :- Agriculture Land

South :- Road  
West :- Agriculture Land

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 30.09.2019 तक कुल राशि रुपये 83,73,685.18/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़



अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

